राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

1	2	3	4	5
क्र.सं.	**अपील संख्या**	**अपीलार्थीगण का नाम**	**प्रत्यर्थी विभाग**	**आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक**
1.	4566 / 2022	श्रीमती कीर्ति शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, डाईट, गोनेर, जिला जयपुर।	–
2.	5193 / 2022	श्रीमती सुमन स्वामी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, बीकानेर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, ब्लॉक बीकानेर, जिला बीकानेर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महारानी, बीकानेर।	08.05.2020 (अनुलग्नक–2)
3.	5197 / 2022	मोहम्मद इम्तियाज	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सिरोही। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोयला, शिवगंज, जिला सिरोही।	01.09.2022 (अनुलग्नक–1)
4.	6246 / 2022	कृष्णानन्द गुप्ता	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, करौली। 4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर। 5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।	14.11.2022 (अनुलग्नक–1)
5.	6247 / 2022	वीरेन्द्र शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानोता कलां, नगर, जिला भरतपुर।	10.11.2022 (अनुलग्नक–1) एवं 18.11.2022 (अनुलग्नक–2)
6.	6248 / 2022	भागीरथ मल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनू। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	13.09.2019 (अनुलग्नक–2)
7.	6249 / 2022	विमल कुमार सिंघल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, करौली। 4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय, करौली। 5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, करौली।	10.02.2021 (अनुलग्नक–2)

1	2	3	4	5
8.	6293/2022	जितेन्द्र कुमार जैन	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी।	15.11.2022 (अनुलग्नक–1)
9.	6294/2022	खान असद मलिक	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उमरी, गंगापुर सिटी।	15.11.2022 (अनुलग्नक–1)
10.	6299/2022	श्रीमती प्रगति मिश्रा		15.11.2022 (अनुलग्नक–1)
11.	6313/2022	हेतराम गुप्ता	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सवाई माधोपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी।	11.04.2022 (अनुलग्नक–2)
12.	05/2023	अशोक कुमार शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, अजमेर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर रोड, अजमेर।	12.07.2018 (अनुलग्नक–2)

आदेश की दिनांक : 28.02.2023

उपस्थित

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई एवं प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं चाहा गया अनुतोष समान प्रकार के हैं और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया

जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4566/2022 श्रीमती कीर्ति शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर जनवरी, 1986 में की गयी थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.01.1986 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 29.01.1997 के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर किया गया एवं दिनांक 08.06.2013 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर उसकी पदोन्नति की गयी तथा उसके पश्चात् व्याख्याता के पद पर माह सितम्बर, 2015 में पदोन्नति दी गई, तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 06.10.1995 के द्वारा दिनांक 01.01.1995 से दिया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.11.2005 के द्वारा दिनांक 11.07.2005 से दिया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 18.03.2014 के द्वारा दिनांक 15.01.2013 से दिया। अपीलार्थी का फिक्सेशन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.07.2013 के अनुसार 4800 ग्रेड–पे पर फिक्सेशन किया गया, जिसका उल्लेख सेवापुस्तिका में मौजूद है। परंतु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए अपीलार्थी को ग्रेड पे 5400 में फिक्सेशन करने के स्थान पर ग्रेड पे 4800 में ही फिक्सेशन कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 27.04.2022 को प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.10.1997 को आदेश निकाला कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, छात्र संस्थाएं, जयपुर के आदेश के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया और आदेश दिनांक 06.10.1995 के द्वारा दिनांक 01.07.1995 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा आदेश दिनांक 29.11.2005 के द्वारा दिनांक 11.07.2005 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित

वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 18.03.2014 के द्वारा दिनांक 15.01.2013 से दिया गया, जबकि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के तहत अपीलार्थी का दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 में फिक्स किया गया और 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए ग्रेड पे 4800 में फिक्सेशन किया गया जबकि अन्य कार्मिकों की भांति अपीलार्थी को भी ग्रेड पे 5400 में फिक्सेशन किया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पर 4200, 18 वर्ष की सेवा पर 4800 एवं 27 वर्ष की सेवा दिनांक 15.01.2013 को पूर्ण होने पर दिनांक 01.07.2013 से 5400 ग्रेड–पे में फिक्सेशन करते हुए उक्त लाभ प्रदान किये जावे तथा अपीलार्थी को सातवें वेतन आयोग में फिक्सेशन करते हुए समस्त एरियर का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। नियमानुसार अपीलार्थीगण की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800 के आधार पर 9, 18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान के रूप में 4200 रूपये ही देय होकर अधिक भुगतान वसूली योग्य है। अपीलार्थी के आदेश दिनांक 15.01.1986 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी एवं आदेश दिनांक 29.09.1997 द्वारा उसका समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से

प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड–पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 06.10.1995 के द्वारा दिनांक 01.01.1995 से दिया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 29.11.2005 के द्वारा दिनांक 11.07.2005 से दिया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 18.03.2014 के द्वारा दिनांक 15.01.2013 से दिया। अतः अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतद्द्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के कॉलम संख्या–5 में अंकित सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के

सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किये जाने पर विचार किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 4566/2022 श्रीमती कीर्ति शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य